सत्यमेव जयते
कुलाधिपति
Chancellor

कोटा ....विश्वविद्यालय,
Kota ....University,
राज भवन, जयपुर – 302006
Raj Bhawan, Jaipur

क्रमांक : एफ.32(2)आरबी / 2024 / 6218
दिनांक : 25 अक्टूबर, 2024

आदेश

प्रो. नीलिमा सिंह को राजभवन के आदेश क्रमांक 5262–63 दिनांक 24.09.2021 द्वारा कोटा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (यथा संशोधित) की धारा 11(3) एवं 11(7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यभार संभालने की तिथि से तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए कोटा विश्वविद्यालय, कोटा का कुलपति नियुक्त किया गया था।

प्रो. नीलिमा सिंह द्वारा दिनांक 28.09.2021 को कार्यभार ग्रहण किया गया। इनका कुलपति पद का कार्यकाल दिनांक 27.09.2024 को पूर्ण हो गया है।

उक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम, 2003 (यथा संशोधित) की धारा 11(3) एवं 11(7) के अन्तर्गत नियमित कुलपति की नियुक्ति में समय लगने की संभावना है।

अतः मैं, हरिभाऊ बागडे, राज्यपाल राजस्थान एवं कुलाधिपति, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा उक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम, 2003 (यथा संशोधित) की धारा 11(9) एवं 11(10) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार की सलाह से डॉ. कैलाश सोढ़ानी, कुलपति, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा को अग्रिम आदेशों अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, अस्थाई व्यवस्था (Stop gap arrangement) अन्तर्गत अतिरिक्त प्रभार के रूप में कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के कुलपति पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए निर्देशित करता हूँ।

हस्ता / –

(हरिभाऊ बागडे)
राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति

क्रमांक : एफ.32(2)आरबी / 2024 / 6219 दिनांक : 25 अक्टूबर, 2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राज़स्थान, जयपुर।
3. शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. विशिष्ठ सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. डॉ. कैलाश सोढ़ानी, कुलपति, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
6. कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
7. कुलसचिव, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

(डॉ पृथ्वी)
सचिव,
राज्यपाल, राजस्थान